

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

(Insert of new article 174A)

श्री नाथ पाई (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, म संविधान की धारा 174 (क) में संतोषित करने वाले इस विषेयक को पेश करने की इजाजत चाहता हूँ।

MR. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

श्री नाथ पाई : मैं इस विषेयक को पेश करता हूँ।

FILM INDUSTRY WORKERS BILL*

श्री स० चं० सामन्त (ताल्लुक) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव किरता हूँ कि चलचित्र उद्योग में श्रमिकों की मजूरी निर्धारित करने तथा उन के काम की दशा में सुधार करने के लिये प्राधिकरण का उपबन्ध करने वाले विषेयक को पेश करने की अनुमति दो जाये।

MR. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide machinery for fixation of wages and for improvement of working conditions of workers in the Film Industry."

The motion was adopted.

श्री स० चं० सामन्त : म चलचित्र उद्योग श्रमिक विषेयक पेश करता हूँ।

17.40 hrs.

HINDU SUCCESSION ACT†

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं आप की माफ़त करोड़ों इस देश में देहातों में रहने वाले किसानों की जो शिकायत है उस की तरफ सरकार की तवज्ज्ञह सीचना चाहता हूँ।

शुभाली हिन्दुस्तान में खास कर और ग्रामतीर पर सारे ही देश में जो दिक्कत जमीन वाले किसानों को महसूस होती है और जो विरासत एकत है जिसे कि हिन्दू सेक्षण एकट बोलते हैं इस में सैक्षण 8 की बदौलत जो हमारे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर के करोड़ों किसानों को और देहात वालों को तकलीफ होती है वह में आप की माफ़त सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूँ।

बात यह है कि इस इलाके में सैकड़ों ज्ञाल जै नहीं हजारों साल से एक विवाज चला ग्रामाता है और वह रिवाज एक रस्म की शक्ति अखत्यार कर गया है, एक ऐसे कस्टम की शक्ति अखत्यार कर गया है कि लोग उसे ग्राम तौर पर समाजी और महज़दी रूप देने लग गये हैं। जहां तक हमारी शादियों का ताल्लुक है जहां तक हमारे त्योहारों का ताल्लुक है, जहां तक हमारी बोलचाल का ताल्लुक है जहां तक हमारे रहन रहन का ताल्लुक है वह ग्राम ग्रामलग है। शुभाली हिन्दुस्तान के और खास तौर पर इस इलाके के जिनको कि वह तकलीफ है और वह में आप को पेश करता हूँ कि वह न सिफ़े देहात की तकलीफ है बल्कि शहर को भी तकलीफ है और वह यह है कि जब लड़की हमारे यहां जवान होती है 12 साल की 13 साल की तो हम उस की शादी करते हैं और शादी भी ऐसी जगह करते हैं जहां उस लड़की की गील

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, section 2, dated 16-2-88.

†Half-An-Hour Discussion.